

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी:- ओ.पी. चंदेलिया आर.ए.एस


क्रमांक :- दुरुस्ती / 2024 / 395

दिनांक :- 29/10/24

-:आदेश:-

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र में प्रार्थी प्रेमसिंह पुत्र माडूराम के शपथ पत्र व तहसीलदार भादरा के रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान यू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में रोही गौजा 3 केआरपी के खाता सं0 162/80, चक 2 केआरपी के खाता संख्या 55/108 तहसील भादरा जिला हनुमानगढ की जमाबन्दी में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र. सं.	ग्राम/चक/पटवार मण्डल	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	3 केआरपी	162/80, 80/71	प्रेमचन्द पुत्र माडूराम	प्रेमसिंह पुत्र माडूराम
2	2 केआरपी	55/108 94/105	प्रेमचन्द पुत्र माडूराम	



पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

दिनांक :- 29/10/24

क्रमांक:- सम/2024/396-397

प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एव पालनार्थ

1. तहसीलदार (राजस्व) भादरा को भेजकर लेख है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश, विवाद एव बैंक रहन न हो तो आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद/अंकन किया जाना सुनिश्चित करे।
2. प्रेमसिंह पुत्र माडूराम को सूचनार्थ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

